creative nz COMMUNITIES

создавать Erschaffen

CREËREN Ia fai Crear Tworzyć

Créer Ke fa'u الإبداع TE AUAHA

create KE FAI 創造 Bulia

창조하다 KE FAAITE

SÁNG TẠO रचना करना 'Angaia Δημιουργώ

KE TĀLAGA 創造する

CREARE OHLOQ สรรสร้าง

CREATIVE COMMUNITIES SCHEME

क्रियेटिव कम्युनिटीज़ स्कीम (रचनात्मक समुदाय योजना)

आवेदकों के लिए गाइड

guide

क्रियेटिव कम्युनिटीज़ स्कीम (रचनात्मक समुदाय योजना): आवेदकों के लिए गाइड

क्रियेटिव कम्युनिटीज़ स्कीम न्यूज़ीलैंड में स्थानीय काउंसिलों और क्रियेटिव न्यूज़ीलैंड (एक राष्ट्रीय कला विकास संस्था) के बीच साझेदारी है। प्रत्येक काउंसिल अपने इलाके में इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी लेती है। स्थानीय रूप से निर्णय लेना इस योजना की मुख्य विशेषता हैः आवेदनपत्रों पर उन असैसमैंट कमेटियों (मूल्यांकन समितियों) द्वारा विचार किया जाता है जिन्हें अपने क्षेत्रों में कलाओं के बारे में ज्ञान और अनुभव होता है।

योजना का उद्देश्य

क्रियेटिव कम्युनिटीज़ स्कीम (रचनात्मक समुदाय योजना) न्यूज़ीलैंड भर में समुदायों के लिए विभिन्न अवसरों का सृजन करने और स्थानीय कला गतिविधियों के बारे में जानने और उनमें भाग लेने के लिए सहायता देती और प्रोत्साहित करती है।

इस योजना के अन्तर्गत, 'कलाओं' की परिभाषा 'सभी प्रकार की सृजनात्मक एवं व्याख्यात्मक अभिव्यक्ति' के रूप में की गई है'।

आवेदन कौन कर सकता है

आवेदनपत्र व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह द्वारा भरा जा सकता है।

व्यक्तिगत आवेदकों के लिए न्यूज़ीलैंड का नागरिक या स्थायी निवासी होना जरूरी है।

आपने अगर पहले कभी व्यक्तिगत रूप से या किसी समूह के सदस्य के रूप में क्रियेटिव कम्युनिटीज़ स्कीम (रचनात्मक समुदाय योजना) के अन्तर्गत फन्डिग (निधीकरण) प्राप्त की है, तो इससे पहले कि आपके द्वारा भेजे गए अन्य किसी भी आवेदनपत्र पर विचार किया जाए, यह जरूरी है कि आप अपने पहले वाले प्रोजैक्ट के बारे में प्रोजैक्ट रिपोर्ट को अवश्य पूरा करें।

पात्रताः क्या मेरे प्रोजैक्ट के लिए फन्डिंग (निधीकरण) उपलब्ध है?

यह जरूरी है कि आपका प्रोजैक्टः

» कला अथवा सृजनात्मक सांस्कृतिक विषय पर केन्द्रित हो

» फन्डिंग की तीन कसौटियों में से एक या अधिक का पालन करता हो (निम्नलिखित को देखें)

» उसे फन्डिंग के अनुमोदित होने के 12 महीनों के भीतर सम्पूर्ण किया जा सके

» स्थानीय समुदाय के लिए लाभकारी हो

» आवेदन किए जाने वाले शहर या जिले में स्थापित हो, या उस शहर या जिले के स्थानीय समुदायों को लाभ पहुँचाने वाला हो

» फन्डिंग अनुमोदित होने से पहले आरंभ **न** किया जा चुका हो

» क्रियेटिव न्यूज़ीलैंड के कन्टेस्टेबल (विवादास्पद) फन्डिंग कार्यक्रम के माध्यम से समान उद्देश्य के लिए पहले से धन-राशि प्राप्त **न** हो

» क्रियेटिव न्यूज़ीलैंड के बहु-वर्षीय फन्डिंग कार्यक्रम के माध्यम से पहले से धन-राशि प्राप्त **न** हो

फन्डिंग की कसौटी

आपके प्रोजैक्ट के लिए निम्नलिखित में से एक या अधिक फन्डिंग कसौटी को पूरा करना जरूरी हैः

- **ब्रोड कम्युनिटी इनवोल्वमैंट (व्यापक सामुदायिक सहभागिता)** - यह प्रोजैक्ट स्थानीय समुदायों के लिए कला की गतिविधियों के प्रति आकर्षित होने और उनमें भाग लेने के अवसर पैदा करेगा।
- **डाइवर्सिटी (विभिन्नता)** - यह प्रोजैक्ट स्थानीय समुदायों की विभिन्न कला एवं सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रोत्साहित करेगा, उनकी विशिष्टता और सांस्कृतिक विभिन्नता को बढ़ावा देगा और प्रचारित करेगा।
- **यंग पीपल (युवा)** - यह प्रोजैक्ट (18 साल से कम आयु के) युवाओं को कलाओं की ओर आकर्षित होने और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेने के योग्य बनाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करेगा।

निधिवद्ध किए जा सकने वाले प्रोजैक्टों एवं गतिविधियों में निम्नलिखित प्रकार शामिल हैंः

- ऐसी प्रदर्शनियां, कलाकृतियां, संगीत-गोष्ठियां, त्यौहार या समारोह, वर्कशॉप तथा प्रस्तुतियां जो कलाओं में समुदायों के सम्मिलन के लिए अवसर प्रस्तुत करते हैं
- ऐसी गतिविधियां जो प्रजातीय समुदायों की परम्पराओं और कलाओं को प्रोत्साहित करती हैं
- युवा कला कार्यक्रम
- स्थानीय समुदायों को सम्मिलित करने वाले कलाकारों द्वारा नेतृत्व किए गए प्रोजैक्ट
- कला गतिविधियों या कार्यक्रमों के लिए सामग्री
- एकबारगी, लघु-अवधि प्रोजैक्टों के लिए कार्यकर्ताओं का खर्चा
- समुदायों में कला गतिविधियों का प्रोत्साहन एवं प्रचार

निधिवद्ध नहीं किए जा सकने वाले प्रोजैक्टों एवं गतिविधियों में निम्नलिखित प्रकार शामिल हैंः

- ऐसी गतिविधियां जो कला-केन्द्रित नहीं हैं
- ऐसी गतिविधियां जिनके लिए स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थाएं स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हैं
- संचालन सम्बन्धी चालू रहने वाले ऐसे खर्चे जो किसी विशिष्ट प्रोजैक्ट से सम्बन्धित नहीं हैं
- ऐसे प्रोजैक्ट जो किसी संस्था अथवा सेवा प्रदाता का प्रमुख व्यापार हैं
- प्रोजैक्ट पर पूर्वव्यापी या पहले से किए गए खर्चे (पहले से शुरू किए गए या पूर्ण हो चुके प्रोजैक्ट)
- किसी कार्यक्रम के खानपान या केटरिंग का खर्चा
- चंदा इकट्ठा करने की गतिविधियां
- सुविधाओं का विकास जैसे कि गैलरी या थियेटर की बत्तियां, स्टेज के पर्दे या भवन नवीनीकरण
- सम्पत्ति का सामान (कैपिटल आइटम्स) जैसे कि कम्प्यूटर, कैमरे या संगीत सम्बन्धी उपकरण